HRA Entre VISUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 31] No. 31] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2007/माघ 4, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2007/MAGHA 4, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 42(अ).-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 402 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 2006, [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेर्जिंग और लेबिलिंग) नियमावली, 2006] की अधिसूचना में :-

नियम । के उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

"(2) ये 1 जून, 2007 से प्रभावी **हों**गे।"

[फा. सं. पी-16011/7/2005~पीएच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare) CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th January, 2007

G.S.R. 42(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, No. G.S.R. 402(E), dated 5th July, 2006, [Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary:-

For Sub-rule (2) of Rule 1, the following shall be substituted, namely:—

"(2) They shall come into force on the 1st June of 2007."

[F. No. P-16011/7/2005-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

HRA AN UNIVERSITY OF Endia

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] No. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2007/ज्येष्ठ 10, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2007/JYAISTHA 10, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 मई, 2007

सा.का.नि. 408(अ).—भारत के राजपंत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शुद्धि—पत्र सं. सा.का.नि. 42(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2006 [सिगरेट और अन्य तम्बाकृ उत्पाद (पैकेर्जिक और लेबलिंग) नियमावली, 2006] की अधिसूचना में दिन, महीना और वर्ष "1 जून. 2007" के लिए दिन, महीना और वर्ष "1 अक्टूबर, 2007" प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पी एच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st May, 2007

G.S.R. 408(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare No. GSR 42(E) Corrigendum dated 24th January, 2007 to the [Cigarettes & Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006], published in Part II. Section 3, Subsection (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year, "1st June of 2007", the day, month and year "1st October of 2007" may be substituted.

[F. No. P-16011/7/2005-PH]

BHAWANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.